



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में एनडीपीएस एक्ट के आरोपी अरशद को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 01 वर्ष के कठोर कारावास व 20,000 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2013 में अभियुक्त अरशद पुत्र अख्तर निवासी ग्राम हरचन्द पुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा 350 ग्राम चरस तस्करी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 646/2013 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 23.02.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी-2 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त अरशद को दोषी पाते हुए 01 वर्ष के कठोर कारावास व 20,000 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



श्री दीपक कुमार एडीजीसी जनपद बागपत



मुख्य आरक्षी धर्मवीर कोर्ट पैरोकार थाना कोतवाली बागपत

@baghatpolice

baghatpolice

Baghat Police





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनांक 23.02.2026

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 44/26 धारा 3/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम की घटना का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में आये 02 वांछित अभियुक्तों / शातिर गौकशों को बाद पुलिस मुठभेड़ (घायलावस्था में) किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर तथा गौकशी के उपकरण 01 रस्सी, 01 दराती, 01 सिरेंज, 01 30ML XYLAZINE INJECTION U.S.P. की सीसी बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20.02.2026 को थाना खेकडा पर वादी रीतिक पुत्र पप्पू सिंह निवासी नूरपुर मुजविदा थाना खेकडा जनपद बागपत ने लिखित सूचना दी कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा आवारा गौवंश को काटकर उसके अवशेष (मांस) ग्राम



डूणडाहेडा ठेके के सामने फेंक दिये हैं। इस सम्बंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकडा पर मु0अ0सं0- 44/26 धारा 3/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम उ0प्र0 पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 44/26 धारा 3/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम की घटना का सफल अनावरण करते हुए

प्रकाश में आये 02 वांछित अभियुक्तों / शातिर गौकशों को बाद पुलिस मुठभेड़ (घायलावस्था में) किया गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर तथा गौकशी के उपकरण 01 रस्सी, 01 दराती, 01 सिरेंज, 01 इंजेक्शन की सीसी बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 49/26 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1.साजिद पुत्र कय्यूम निवासी जसड थाना सरूरपुर जनपद मेरठ।
- 2.इन्तजार उर्फ भूषण पुत्र शेरदीन निवासी पाँची थाना चाँदीगनर जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण:-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर
- गौकशी के उपकरण एक अदद रस्सी, एक अदद दराती, एक अदद सिरेंज, एक अदद 30ML XYLAZINE INJECTION U.S.P. की सीसी।

घटनास्थल व समय- दिनांक 23.02.2026, समय-00.45 बजे, डूंडाहेडा ठेके के सामने जंगल, थाना खेकडा।

गिरफ्तार अभियुक्त साजिद का आपराधिक इतिहास -

- 1-मु0अ0सं0 223/15 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गौवध निवारण अधिनियम थाना सरूरपुर जनपद मेरठ
- 2-मु0अ0सं0 262/2022 धारा 307 भादवि थाना सरूरपुर जनपद मेरठ
- 3-मु0अ0सं0 263/2022 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना सरूरपुर जनपद मेरठ
- 4-मु0अ0सं0 290/2022 धारा 2/3गैंगस्टर एक्ट थाना सरूरपुर जनपद मेरठ
- 5-मु0अ0सं0 160/22 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गौवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना सरूरपुर जनपद मेरठ
- 6-मु0अ0सं0 241/22 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गौवध निवारण अधिनियम व 212 भादवि थाना सरूरपुर जनपद मेरठ

- 7-मु0अ0सं0 244/22 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गौवध निवारण अधिनियम व 212 भादवि थाना सररपुर जनपद मेरठ
- 8-मु0अ0सं0 247/22 धारा 3/5ए/8 उ0प्र0 गौवध निवारण अधिनियम व 212 भादवि थाना सररपुर जनपद मेरठ
9. मु0अ0सं0 44/26 धारा 3/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम थाना खेकडा बागपत

गिरफ्तार अभियुक्त इन्तजार का आपराधिक इतिहास -

- 1-मु0अ0सं0 266/2017 धारा 3/5ए/8 उ0प्र0 गौवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 307 भादवि थाना जानी जनपद मेरठ
- 2-मु0अ0सं0 195/2017 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गौवध निवारण अधिनियम थाना सररपुर जनपद मेरठ
- 3-मु0अ0सं0 334/2018 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना जानी जनपद मेरठ
- 4-मु0अ0सं0 130/2020 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गौवध निवारण अधिनियम थाना जानी जनपद मेरठ
- 5-मु0अ0सं0 501/2020 धारा 307 भादवि थाना बृहमपुरी जनपद मेरठ
- 6-मु0अ0सं0 502/2020 धारा 411,414,420 भादवि थाना बृहमपुरी जनपद मेरठ
- 7-मु0अ0सं0 503/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बृहमपुरी जनपद मेरठ
- 8-मु0अ0सं0 527/2017 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गौवध निवारण अधिनियम व 429 भादवि थाना जानी जनपद मेरठ
- 9-मु0अ0सं0 14/2018 धारा 307,34,427 भादवि थाना जानी जनपद मेरठ
- 10-मु0अ0सं0 15/2018 धारा 3/5ए/8 उ0प्र0 गौवध निवारण अधिनियम थाना जानी जनपद मेरठ
- 11-मु0अ0सं0 18/2018 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना जानी जनपद मेरठ
- 12-मु0अ0सं0 562/2018 धारा 429 भादवि थाना जानी जनपद मेरठ
- 13-मु0अ0सं0 721/2018 धारा 3/5ए/8 उ0प्र0 गौवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना जानी जनपद मेरठ
- 14-मु0अ0सं0 859/2018 धारा 3/5ए/8 उ0प्र0 गौवध निवारण अधिनियम व 429 भादवि थाना जानी जनपद मेरठ
15. मु0अ0सं0 77/2009 धारा 5क/8 उ0प्र0 गौवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना खेकडा जनपद बागपत

16. मु0अ0सं0 165/2009 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गौवध निवारण अधिनियम थाना चांदीनगर जनपद बागपत
17. मु0अ0सं0 209/2009 धारा 3 यूपी गुण्डा अधिनियम थाना चांदीनगर जनपद बागपत
18. मु0अ0सं0 141/2019 धारा 3/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत
19. मु0अ0सं0 155/2019 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत
20. मु0अ0सं0 240/2025 धारा 3/5/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम थाना ट्रौनिका सिटी जनपद गाजियाबाद
21. मु0अ0सं0 277/2025 धारा 109(1) बीएनएस व 3/4/25/27 आर्म्स एक्ट थाना ट्रौनिका सिटी जनपद गाजियाबाद
22. मु0अ0सं0 201/2019 धारा 3/5/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम थाना ट्रौनिका सिटी जनपद गाजियाबाद
23. मु0अ0सं0 44/26 धारा 3/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम थाना खेकडा बागपत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्र0नि0 श्री प्रभाकर कैन्तुरा थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 2-व0उ0नि0 श्री सागर सिंह थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 3-उ0नि0 श्री कुलजीत सिंह थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 4-है0का0 440 राशिद खान थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 5-है0का0 489 सुनील कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत
- 6-है0का0 392 उमेश भाटी थाना खेकडा जनपद बागपत
- 7-का0 164 नितिन कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 8-का0 84 मोहित त्रिपाठी थाना खेकडा जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक-23.02.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस, सर्विलांस सैल एवं स्वाट बागपत की संयुक्त टीम ने थाने के मु0अ0सं0 99/26 धारा 103(1) बी0एन0एस0 में प्रकाश में आये हत्यारोपी 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसकी निशांदाही पर मृतका का 01 पहचान पत्र (आधार कार्ड) तथा 01 बैंक पासबुक बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 12-02-2026 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी बाबूराम पुत्र रमेशचन्द निवासी ग्राम सूरजपुर महनवा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी पत्नी की हत्या कर दी गयी है। इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के अधार पर थाना कोतवाली



बागपत पर मु0अ0सं0 99/26 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

नोट - उपरोक्त अभियोग में विवेचना एवं प्राप्त साक्ष्यों एवं तथ्यों के आधार पर धारा 64(1) बी0एन0एस0 की बढोत्तरी की गयी है ।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस, सर्विलांस सैल एवं स्वाट बागपत की संयुक्त टीम द्वारा थाने के मु0अ0सं0 99/26 धारा 103(1) बी0एन0एस0 में प्रकाश में आये हत्यारोपी 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी निशांदाही पर मृतका का 01 पहचान पत्र (आधार कार्ड) तथा 01 बैंक पासबुक बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट-श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा घटना का सफल अनावरण करने वाली पुलिस टीम को 25 हजार रुपये के इनाम से पुरस्कृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राजेश पुत्र रोहताश निवासी टटीरी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

उम्र लगभग 41 वर्ष

गिरफ्तारी समय दिनांक व स्थान- अभियुक्त राजेश को दिनांक 22.02.2026 समय 23.09 बजे रात्रि को मुख्य मार्ग मेरठ बागपत हाइवे से अहैडा नहर पटरी की तरफ थाना कोतवाली बागपत क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया ।

बरामदगी का विवरण-

- 01 पहचान पत्र (आधार कार्ड) ।
- 01 बैंक पास बुक ।
- 01 मोबाइल वीवो रंग काला । (अभियुक्त का)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक ब्रजेश कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2- निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3-निरीक्षक श्री तपेश्वर सागर प्रभारी स्वाट मय टीम जनपद बागपत ।
- 4-उ0नि0 श्री संजय सिंह प्रभारी सर्विलांस सैल बागपत मय टीम ।
- 5-उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 6-उ0नि0 श्री वृक्षपाल सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 7-उ0नि0 श्री देवेन्द्र कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 8-उ0नि0 श्री सत्यम जंघाला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 9-म0उ0नि0 सीमा सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 10-है0का0 422 राजन सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 11-है0का 339 राकेश कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 12-है0का0 816 शौकिन्द्र थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 13-है0का0 491 रामकुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 14-का0 44 संजीव कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 15-का0 467 टिकू अधाना थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 16- का0 229 देवेश कसाना थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।